मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969

क्रमांक 9/1969

(मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम पर राष्ट्रपति महामहिम की स्वीकृति 31 जुलाई 1969 को प्राप्त हुई जिसे म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 2 अगस्त 1969 पृ. 1943-1953 पर प्रकाशित किया गया अधिसूचना क्र. 21438 इक्कीस - अ (प्रा.) दिनांक 1 अगस्त 1969 भोपाल प्रकाशित हुई)

कतिपय वनोपज के व्यापार को लोक हित में विनियमित करने और उस हेतु उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार (State Monoploy) के सृजन करने के लिये उपबन्ध करने का अधिनियम

भारत गणराज्य के वीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश लेजिस्लेचर (विधान-मंडल) द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :–

उद्देश्य एवं कारण:- तात्कालिक आवश्यकता अनुभव की जाने से राज्यपाल महोदय ने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश क्र.- 9/1969 के रूप में इसे जारी किया था, जिसका आशय सारांश में यह प्रकट किया गया था कि–

(a) राज्य के सहकारी वनों में अधिक मूल्यवान एवं विशाल मात्रा में वन उपज उत्पन्न की जाती है जिसके व्यापार के विनियमन (Regulate) करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है जिससे व्यापार का मुनाफा ठेकेदारों या बिचौलियों (मध्यस्थों) द्वारा शोषण कर लिया जाता है। राज्य के ऐसे आगम (Proceeds) के लिए विधिपूर्ण विनियोग द्वारा राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु वन उपज के व्यापार को विनियमित करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है।

(b) ऐसे व्यक्ति जिनकी रोटी-रोजी का खास साधन वन उपज का संग्रह है जिनमें आदिवासी जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें उनकी संग्रहीत वन उपज का यथार्थ मूल्य उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिए भी वन उपज के व्यापार का विनियमन एवं राज्य का एकाधिकार होना आवश्यक है।

(c) अतएव वन उपज के व्यापार, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी शक्तियों (Control and Supervisory powers) से राज्य सरकार को समन्वित किया गया; (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 3 जुलाई 1969 पृष्ठ 1586)

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ- (1) यह अधिनियम **मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969** कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह–

(एक) ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी वन उपज के संबंध में तत्काल प्रवृत्त होगा- जिन्हें (अध्यादेश-9/69) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट (Specified) किया गया हो- जिसे (अध्यादेश को) अधिनियम की धारा 23 के अधीन निरस्त कर दिया गया है, और

(दो) ऐसे अन्य क्षेत्र या क्षेत्र में तथा ऐसे अन्य वन उपज के सम्बन्ध में तथा ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होगा जिसे या जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

टिप्पणी

नीचे दी गई सारणी (तालिका- Table) में वह अधिसूचनाएँ तथा तारीखें दर्शाई जाती हैं जिनके अनुसार अध्यादेश (9/1969) की धारा 1 (3) की शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार ने इस अध्यादेश

को मध्यप्रदेश में लागू किया था तथा अधिनियम अध्यादेश के स्थान पर प्रतिस्थापित होने पर अधिनियम की धारा 1 (3) (दो) के अधीन अधिसूचनाओं द्वारा इस कानून को म. प्र. राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में लागू किया है–

(1) अधिसूचना क्र.3544-X-69 दिनांक 21-6-1969 द्वारा - वन उपज महुआ फूल, महुआ बीज सभी प्रकार के गोंद, हर्रा के बारे में अध्यादेश क्र. 9/69- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश वन सरकिल बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, मध्य (जबलपुर) तथा बालाघाट में लागू किया गया।

(2) (1) अधिसूचना क्र. 289-1344-X-(3)-70 दिनांक 10 अगस्त 1970- म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9/1969) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम 1 (एक) सितम्बर 1970 से इन क्षेत्रों में नीचे विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में लागू होगा :–

(A) क्षेत्र- राजस्व जिले- (1) सीधी (2) शहडोल (3) सरगुजा - (केवल चांद बखार फारेस्ट डिव्हीजन), (4) होशंगाबाद (5) बैतूल (6) रायपुर (7) दुर्ग तथा (8) बस्तर

(B) इमारती लकड़ी - सागौन (Tectona Grandis)
साल (Shorea Roubasta)
साज (Terminetia Tomentosa) तथा
बीजा (Pterocarpus Massupium)

2 (2) निम्नलिखित फारेस्ट रेंजों के कूप्स (Coupes) को वन विभागीय पर्यवेक्षण (Supervision) के अधीन या निम्नलिखित विवरण के अनुसार पब्लिक आक्शन सार्वजनिक घोष विक्रय (नीलामी) द्वारा - कार्यान्वित किया जावेगा:-

राजस्व जिले	फारेस्ट डिव्हीजन	फारेस्ट रेंजों के नाम जिनमें खड़े कूपों को कार्यान्वित किया जाएगा	
		वन विभागीय पर्यवेक्षण के अधीन	सार्वजनिक नीलामी से विक्रय द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सीधी	1. पश्चिमी सीधी	1. पूर्वी सीधी	
		2. पश्चिमी सीधी	
		3. मड़वास	
		4. मंझगवां	
		5. पौण्डी	
		6. कुसुमी	
	2. पूर्वी सीधी	1. सराय	4. चितरंगी
		2. माडा	5. वरगवां
		3. बैढ़न	6. जियावन
2. शहडोल	3. उत्तरी शहडोल	1. पूर्वी ब्यौहारी	
		2. पश्चिमी ब्यौहारी	
		3. जयसिंहनगर	
		4. अमझोर	
		5. खोनो दी	
		6. पाली	

(1)	(2)	(3)	(4)
		7. घनघुटी	
	4. दक्षिणी शहडोल	1. अमरकण्टक	
		2. जैठारी	
		3. कोतमा	4. जेलपुर
			5. केसवाही
			6. बुढार
			7. शहडोल
	5. उमरिया	1. पनपठा	
		2. टाला	
		3. मानपुर	
		4. धामोखर	
		5. करकेली	
		6. उमरिया	
		7. चन्दिया	
3. सरगुजा	6. चांद बाखर	1. कमरजी	
		2. कटाडोल	
		3. केल्हारी	
		4. बहारसी	
		5. खरपुर	
		6. जनकपुर	
4. होशंगाबाद	7. होशंगाबाद	1. होशंगाबाद	[1][पिपरिया]
		2. सुकतवा	2. वनखेरी
		3. बोरी	3. वगरा
		4. सुहागपुर	4. पचमढ़ी
		[2]5. [(विलुप्त)]	
		6. ["]	
		7. ["]	
		8. ["]	
	8. हरदा	[3]1. [हण्डिया]	
		2. मकराई	
		3. राहतगाँव	
		4. टेमागाँव	
		5. सिवंनी	
5. बैतूल	9. उत्तरी बैतूल	1. शाहपुर	
		2. बैतूल	[3][आमला]
		[3]3 [–]	
		4. घोड़ाडोंगरी	
		5. सारनी	

1. अधिसूचना क्र. 813-1712-X-3-71 दि. 20-7-1971 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. कालम नं. 3 रेंज क्र. 5, 6, 7, 8 को विलुप्त किया गया- अधिसूचना क्र. 813-1712-X-3-71 दि. 20-7-72.
3. अधिसूचना उपरोक्त दि. 20-7-71 द्वारा विलुप्त की गई-(हण्डिया) तथा राजपत्र पार्ट 1, दि. 13-8-1971 पृ. 1012 द्वारा आमला अन्तःस्थापित।

(1)	(2)	(3)	(4)
	10. दक्षिणी बैतूल	1. चिचोली	
		2. भैंसदेही	
		3. साओल मैण्डिया	
		4. ताप्ती	
		5. मुलताई	
		6. आठनेर	
	11. पश्चिमी बैतूल	1. मोहदा	
		2. टाओड़ी	
		3. सावलीगढ़	
		4. भौरा	
		5. गवासेन	
6. रायपुर	12. उत्तरी रायपुर	1. सोनखान	
		2. दक्षिणी लोआन	
		3. पिथौरा	
			4. सरायपाली
			5. उत्तरी लोआन
			6. महासमुंद
	13. दक्षिणी रायपुर	1. वीरगुनी	
		2. सीतानाड़ी	
		3. रिसगांव	
		4. नागरी	
			5. सिंगपुर
			6. धमतरी
	14. पूर्वी रायपुर	1. गरियाबन्द	
		2. मानपुर	
		3. देवभोग	
			4. छुरा (Chhura)
7. दुर्ग	15. उत्तरी दुर्ग	1. रेंगाखान	
		2. खैरागढ़	
		3. डोंगरगढ़	
			4. तारेगांव
			5. कवरधा
			6. गन्दाई
	16. दक्षिणी दुर्ग	1. छुरा	
		2. लोहारा	
			3. चौकी
			4. पानावरस
			5. कुसुमकासा
			6. बालोद
			7. मानपुरी
8. बस्तर	17. कांकेर	1. कापसी	
		2. भानुप्रतापपुर	

(1)	(2)	(3)	(4)
		3. अंतागढ़	
		4. कोरार	
		5. अमावोदा	
		6. केसकाल	
			7. चारामा
			8. कांकेर
	18. उत्तरी बस्तर	1. परलकोट	
		2. सोनपुर	
		3. नारायनपुर	
		4. छोटी डोंगर	
		5. घोड़ी	
		6. फरसगांव	
		7. उत्तरी मकड़ी	
		8. दक्षिणी मकड़ी	
	19. पूर्वी बस्तर	1. बरसूई	
		2. गीदम	
		3. दरभा	
		4. कांगर	
		5. मचकोट	
		6. जगदलपुर	
		7. मेरदापाल	
		8. भानपुरी	
		9. बकाबन्द	
		10. अमरौती	
		11. कौण्डा गाँव	
	20. दक्षिणी बस्तर	1. दंतेवाड़ा	
		2. टौंगपाल	
		3. सुकमा	
		4. जगरगुण्डा	
		5. कोण्टा	
		6. किस्तराम	
		7. गोला पल्ली	
	21. पश्चिमी बस्तर	1. भैरमगढ़	
		2. बीजापुर	
		3. बसगड़ा	
		4. नेलसनाई	
		5. पामेड़	
		6. अवापल्ली	
		7. माडेड	
		8. भोपाल पट्टनम	
		9. टोईनार	

[म. प्र. असाधारण राजपत्र दि. 10 अगस्त 1970 पृष्ठ 1289-1292 में प्रकाशित]

अनुसूची

अनु. क्र.	अधिसूचना क्र. दि. एवं म. प्र. राजपत्र दिनांक (धारा)	क्षेत्र	वन उपज
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्र. 704-503-X-3-72 दि. 12 जून 1972 (म. प्र. राजपत्र असाधारण 12-6-1972 पृ. 1734) अधिनियम की धारा 1 (3) (ii)	राजस्व जिले- सीधी, शहडोल, सरगुजा (केवल चांदाबाखर फारेस्ट डिवीजन) होशंगाबाद, बैतूल, रायपुर, दुर्ग तथा बस्तर	शीशम (Dalbergia Latifolia) इमारती लकड़ी
2.	क्र. 1290-986-X-3-72 दि. 14 सितम्बर 1972 (म. प्र. राजपत्र 14-9-1972 पृ. 2300) अधिनियम की धारा 1 (3) (ii)	राजस्व जिले- सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर तथा टीकमगढ़	सागौन की इमारती लकड़ी (Tectona-Grandis) साल (Shorea Roubursta) बीजा- (Pterocarpus Massupium) शीशम (Dalbergia Latifolia)

अनुसूची

अनु क्रमांक	अधिसूचना क्र. दि. तथा म. प्र. राजपत्र दि. (धारा)	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के रूप में होना समाप्ति घोषित	विनिर्दिष्ट वन उपज के विनिर्दिष्ट वे क्षेत्र जहां यह अधिसूचना लागू होगी
1.	अधिसूचना क्र. 706-503-X-3 दि. 12 जून 1972 (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 12-6 1972 पृ. 1735) धारा 22 A उपधारा (1)	1. महुआ फूल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
		2. महुआ बीज	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
		3. साज (Terminalia Tomentose) इमारती लकड़ी	राजस्व जिले–सीधी, शहडोल, सरगुजा (केवल चांदाबाखर फारेस्ट डिव्हीजन) होशंगाबाद, बैतूल रायपुर, दुर्ग और बस्तर

अनुसूची

नोटीफिकेशन क्र. F-30-31-73-III-I-X दि. 30 जून 1973

म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उपधारा (3) के क्लाज (II) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम प्रवृत्त होना- घोषित (म. प्र. असाधारण राजपत्र 30-6-1973 पृष्ठ 2268)

अनु. क्र.	विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधिनियम लागू	विनिर्दिष्ट वन उपज
1.	राजस्व जिले– 1. रायसेन, 2. भोपाल, 3. सीहोर 4. शाजापुर, 5. राजगढ़, 6. विदिशा 7. सिवनी, 8. छिंदवाड़ा	सागौन की इमारती लकड़ी (Tectona grandis) साल (Shorea Robusta) बीजा (Pterocarpus massupium) तथा शीशम (Delbergia Latifolia)

नोटीफिकेशन क्र. 18-6-73 -III-I-X दि. 9 नवम्बर 1973 (म. प्र. असाधारण राजपत्र 9-11-1973 पृष्ठ 3636)

धारा 1 (3) (ii) के अधीन अधिनियम अनुसूची में दिये गये विनिर्दिष्ट क्षेत्र के विनिर्दिष्ट जिलों में विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में लागू होगा।

अनुसूची

अनुक्र.	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिनियम लागू	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले- रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगाँव, बिलासपुर रायगढ़, सरगुजा, जबलपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, शहडोल, पूर्वी निमाड़ (खण्डवा), होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और छतरपुर	समस्त प्रकार के बांसों के लिए Bamboos of all Species

अधिसूचना क्र. 18-6-73 III-II-X दि. 9 नवम्बर 1973 (म. प्र. असाधारण राजपत्र दि. 9-11-1973 पृ. 3637)

धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनुसूची में बताये विनिर्दिष्ट वन उपज के संबंध में अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले-रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल, पश्चिमी निमाड़ (खरगोन), पूर्वी निमाड़ (खण्डवा)	सालई (Salai) (Boswallia Serrate Timber)

अधिसूचना क्र. 30-1-75-3-X-1, दि. 9 अक्टूबर 1975 (मप्र. असाधारण राजपत्र दि. 10-10-1975 पृ. 2302)

धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	खैर (Acacia Catechu)

अधिसूचना क्र. एफ- 31-9-75-3-1-X दि. 9 दिसम्बर 1975 (मप्र. राजपत्र असाधारण दि. 9-12-1975 पृ. 2740)

धारा (1) (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले बस्तर, रायपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, मण्डला, जबलपुर, सीधी, राजनांदगाँव, तथा होशंगाबाद	साल-बीजे (Sal- Seeds)

अधिसूचना क्र. एफ-30-37-76-III-X दि. 24 सितम्बर 1976 (म.प्र. असाधारण -राजपत्र 24-9-1976 पृ. 2867)

– धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिनियम लागू	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले– रीवा, सतना, सरगुजा, (सरगुजा फारेस्ट डिवीजन का उत्तरी और दक्षिणी भाग केवल) इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, रतलाम, देवास, धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी और गुना	सागौन इमारती लकड़ी (Tectona grandis) साल (Shorea Robusta) बीजा (Pterocarpus massupium) शीशम (Dalbergia Latifolia)

अधिसूचना क्र. 30-16-1974-E-31-1, दि. 31 अगस्त 1974, (म.प्र. असाधारण राजपत्र दि. 31-8-1974 पृ. 2101)

- धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

(1)	(2)	(3)
1.	1. नरसिंहपुर 2. मण्डला 3. जबलपुर तथा 4. खण्डवा	-सागौन की इमारती लकड़ी (Tectona Grandis) साल (Shorea Robusta) बीजा (Pterocarpus massupium) शीशम (Dalbergia Latifolia)

धारा 2. परिभाषायें - इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **'अभिकर्ता'** से अभिप्रेत है, धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अभिकर्ता;

(ख) **'कोड'** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20, वर्ष 1959);

[1][(ग) विलुप्त ।]

(घ) **'वन उपज'** से अभिप्रेत है [2][सभी जाति के] बाँस, काष्ठ, खैर, (कत्था) (केटेच्यु) खदिरि (कुछ), कुल्लू, गोन्द, धावड़ा गोंद, बबूल गोंद, खैर गोंद, साल की राल (Resin), सालई की राल (Salai Resin), रोशा घास, रोशा घास का तेल, समस्त रूप में लाख, चपड़ा, महुआ के फूल, महुआ बीज (टोली), चिरौंजी, [3][साल बीज] गुठली, हर्रा और कचरिया, माहुल के पत्ते, माहुल की छाल, फूल बुहारी घास या फूल बुहारी;

(ङ) **'शासकीय पट्टाधारी'**, से अभिप्रेत है कोड की धारा 181 के अधीन राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला व्यक्ति;

(च) **'वन'** उपज उगाने वाला, से अभिप्राय—

(एक) उन क्षेत्रों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किये गये हों, उगाई गई या पाई गई वनोपज के सम्बन्ध में राज्य सरकार से है और;

(दो) उपर्युक्त (एक) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाई गई या पाई गई वन उपज के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार से है, जहाँ वन उपज कोड की धारा 2 के उपधारा (1) की क्लाज (Z-3) में यथा परिभाषित दखल रहित (Unoccupied) भूमि पर उगाई या पाई जावे;

(ख) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले यथास्थिति ऐसे खाते के भूधारी या भाड़ेदार (Tenant) या शासकीय पट्टेदारी (Government Lessee) या ऐसी सेवा भूमिधारी (Holder of Service land) से है जिसमें वन उपज उगती हो या पाई जाती हो या उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से ऐसी वन उपज पर हक का दावा करता हो; और

(ग) किसी ऐसी इकाई में जिसमें की वन उपज उगती हो या पाई जाती हो, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1986 (क्र. 28, वर्ष 1968) के अधीन भूदान धारक से है और उसके अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर उसके माध्यम से वन उपज पर हक का दावा करता हो;

---

1. म.प्र. संशोधन अधि. क्र. 16/2002 (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 30-08-2002) द्वारा विलुप्त । पूर्व में यह निम्नानुसार था- (ग) **'समिति'** से अभिप्रेत है धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग के लिये गठित समिति;
2. शब्द "सभी जाति के" अधिनियम क्र. 5 वर्ष 1974 राजपत्र दि. 2-2-74 पृष्ठ 161 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. "साल बीज" अधिसूचना क्र. 1241/21/A, दि. 5-5-75, (राजपत्र दि. 5-5-75, पृ. 119) द्वारा अन्तः स्थापित ।

(छ) **खाता** से अभिप्राय—

(एक) **ऐसे भूमि खण्ड से है** जिसका भूराजस्व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो एक ही धारणाधिकारी (Tenure) के अधीन धारित हो; और

(दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टेधारी द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथास्थिति भूमि स्वामी या राज्य सरकार से धारण किये गये भूमि खण्ड से है;

(ज) **सेवा भूमि के धारक** से अभिप्रेत है गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला व्यक्ति;

(झ) **'अनुज्ञप्त विक्रेता'** (Licence Vendor) से अभिप्राय, विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है, जिसे ऐसी वन उपज के फुटकर विक्रय के लिये धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो;

(ञ) **'फुटकर विक्रय'** (Retail Sale) से अभिप्रेत है, ऐसे परिमाण से, जिसे की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, अधिक न होने वाली किसी विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय;

(ट) **'विनिर्दिष्ट क्षेत्र'** (Specified Area) से अभिप्राय किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में, ऐसे क्षेत्र से है, जो कि धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये विनिर्दिष्ट किया हो;

(ठ) **'विनिर्दिष्ट वन उपज'** से अभिप्राय, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी वन उपज से है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये विनिर्दिष्ट की गई हो;

(ड) **'भाड़ेदार'** (Tenant) से अभिप्रेत है कोड के चौदहवें अध्याय अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काश्तकार (Occupancy Tenant) के रूप में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति;

(ढ) **'भूधारी'** (Tenure Holder) से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता हो और जो कोड के उपबन्धों के अधीन भूमि स्वामी हो, या भूमि स्वामी माना गया हो;

(ण) [1]**'काष्ठ'** (Kashtha) से अभिप्रेत है निम्नलिखित वृक्षों की, खड़ी हुई (Standing) या काट कर गिराई गई समस्त लकड़ी चाहे वह किसी प्रयोजन के लिये काटी गई हो, (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) अथवा नहीं—

1. सागौन (Tectona Grandis)
2. साल (Shorea Robusta)
3. बीजा (Pterocarpus massupium)
4. तिनसा (Ouginia Dalbar goides)
5. शीशम (Dalbergia Latifolia)
6. धावड़ा (Annogeissus Latifolia)
7. साज (Terminalia Tomentosa)

1. मध्यप्रदेश विधान क्र. 28 वर्ष 1983 जो म.प्र. राजपत्र दि. 9 अगस्त, 1983 (पृष्ठ 2264) पर प्रकाशित के द्वारा संशोधित परिभाषा एवं वृक्षों की सूची।

8. महुआ (Madhuca Latifolia)
9. मिर्रा (Chloroxy on Swietenia)
10. करंज (Pongamia Glabra)
11. तेंदू (Diospyros meleroxylon)
12. लेंडिया (Lagerstrosmia Parviflora)
13. सालई बांस (Boswellia Serratta)

(त) **इकाई** - से अभिप्रेत है - विनिर्दिष्ट क्षेत्र का वह सब डिवीजन (उप खण्ड) जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गणित किया गया हो।

(थ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का - जो इस अधिनियम में प्रयुक्त की गई किन्तु परिभाषित नहीं है- वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय वन अधिनियम क्र. 16/1927 में परिभाषित करके दिया गया है।

टिप्पणी धारा 2

वन उपज - धारा 2 (घ) = (D) तथा धारा 1 (3) म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969, भारतीय वन अधिनियम-धारा 26 (8) तथा 41- विनिर्दिष्ट वन उपज के अधिहरण की कार्यवाही की वैधता-केवल विनिर्दिष्ट (Specified) वन उपज का अधिहरण (Confiscation) किया जा सकता है, जिस वन उपज के बारे में धारा 1 (3) के तहत 'विनिर्दिष्ट वन उपज' होने का नोटीफिकेशन जारी नहीं हुआ हो वह निर्दिष्टि वन उपज नहीं कही जायगी। साल बीजा निस्सन्देह वन उपज है लेकिन शहडोल जिले के सम्बन्धित गाँव के साल बीजों के बारे में म. प्र. वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 1 (3) के अधीन नोटीफिकेशन जारी होना नहीं पाया जाने से म. प्र. हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. चावला ने ***जयदयाल*** वि. ***स्टेट म.प्र. के मामले पैरा 4 में - (1992 FLT 35)*** अधिहरण की कार्यवाही निरस्त कर दी और साल बीज वापस किये गये।

बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 (4) - भारतीय वन अधिनियम की धारा 21- Kendu Leaves - का अभिग्रहण किया गया, आपत्ति यह की गई कि अनुसूची में (KENDU- LEAVES) विनिर्दिष्ट (Specified) नहीं है अन्य वस्तुओं महुआ की पत्तियां तथा साल की पत्तियां, शामिल की गई हैं अतएव विनिर्दिष्ट वन उपज में केन्दू पत्तियां नहीं आती हैं। इस तर्क पर विचार करने के लिए कि क्या-बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984 लागू होता है या नहीं ? मामला विचारण न्यायालय में विचार किया जाना था। रिव्हीजन खारिज की गई- ***(प्रहलाद प्रसाद उर्फ लादू साव*** वि. ***स्टेट बिहार 1992 FLT 14 पटना हाईकोर्ट (रांची बैन्च) (जस्टिस शमीमुल होडा)*** ; इस मामले में एडीशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने कन्सरवेटर ऑफ फारेस्ट को अधिकारियों की कमेटी बनाकर केन्दू पत्तियां अभिग्रहीत को विक्रय करने का निर्देश दिया और नीलामी में विक्रय आगम सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया। यह आदेश कायम रखा गया। धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारे में यह विनिश्चय किया गया कि इस मामले में रेंज आफीसर ने seizure केन्दू पत्तियों का किया था। रेंज आफीसर - पुलिस आफीसर नहीं है अतएव धारा 457 Cr P.C. में कोई आवेदन एडीशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राह्य नहीं किया जा सकता था। ***(पैरा 11 लगायत 16 - 1992 FLT 14 (Page 19) पटना हाईकोर्ट; (रिषीनाथ सिंह*** वि. ***स्टेट म.प्र.- 1992 FLT 109 जस्टिस के.एल. इसरानी***- मजिस्ट्रेट को अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करने का नोटिस होने पर अधिकारिता धारा 451, 457, द. प्र.सं. नहीं रहती है); (धारा 52- सी (IFA) 1927);

धारा 5 की रोक तब लागू नहीं होगी जब विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं है। विनिर्दिष्ट वन उपज (Specified Forest Produce) जो नहीं हैं भले ही वन उपज हो वह म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1980 के दायरे में नहीं आयगी। ***(स्टेट म.प्र.*** वि. ***निरपाल - 1988 (1) म.प्र.वी.नोट 44)***।

धारा 3. इकाइयों का गठन- राज्य सरकार प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगी, जितनी कि वह उपयुक्त समझे, किन्तु विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, भिन्न-भिन्न विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये भिन्न-भिन्न इकाइयों में विभाजित किया जा सकेगा।

धारा 4. अभिकर्ताओं की नियुक्ति - (1) राज्य सरकार विनिर्दिष्ट वन उपज के अपनी ओर से क्रय तथा व्यापार हेतु, भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये एक या अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगी तथा कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाइयों के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) [1]किसी सहकारी सोसायटी, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की उपधारा (1) के अधीन अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकेगा और उस दशा में जब पूर्वोक्त में से कोई भी अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये नहीं आता (स्वीकार नहीं करता), तब ही किसी अन्य व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) अभिकर्ताओं के लिये, नियुक्ति सम्बन्ध निबन्धन शर्त तथा प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जावे।

धारा 5. विनिर्दिष्ट वन उपज के क्रय या परिवहन पर निबन्धन - (1) किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर—

(क) राज्य सरकार

(ख) इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये राज्य सरकार के कोई अधिकारी

(ग) जिस इकाई में वन उपज उगाई हो या पाई जाती हो, उस इकाई से सम्बन्धित अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसे क्षेत्र में न तो क्रय करेगा और न परिवहन करेगा।

स्पष्टीकरण- 1. क्रय में वस्तु विनिमय (Barter) द्वारा किया क्रय सम्मिलित है।

[2]**स्पष्टीकरण-** 2. राज्य सरकार से या पूर्वोक्त शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता से या अनुज्ञप्त विक्रेता से या धारा 12 (क) के द्वारा किया गया विनिर्दिष्ट वनोपज का क्रय, इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया क्रय नहीं समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण- 3. खाते में कोई हित न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने कि ऐसे खाते में उगाई गई या पाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज का संग्रह का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर ऐसी उपज का क्रय किया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) महुआ से भिन्न वन उपज उगाने वाला, अपनी उपज का परिवहन इस इकाई के भीतर, जिसमें कि ऐसी वन उपज उगाई जाती हो या पाई जाती हो किसी स्थान से, उस इकाई में के किसी अन्य स्थान को कर सकेगा और महुआ उगाने वाला महुआ को अपने कब्जे में रख सकेगा और उसका परिवहन उस जिले के भीतर के, जहाँ कि महुआ उगाया जाता हो या पाया जाता हो, किसी स्थान से उस जिले के किसी स्थान को कर सकेगा।

(ख) कोई व्यक्ति ऐसे परिमाण में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावे, अनधिक वन

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 28 वर्ष 1983 (राजपत्र दि. 9 अगस्त 1983 पृष्ठ 2264) द्वारा नवीन धारा 4 (2) स्थापित की गई।
2. म.प्र. अधिनियम क्र. 16/1990 (राजपत्र असाधारण दिनांक 21 अगस्त 1990 पृष्ठ 1937 तथा 1938 द्वारा धारा 5 (1) का स्पष्टीकरण II का संशोधन प्रतिस्थापित किया गया। (1990 FLT Part II P. 43-44) (1990 M.P. Law times part IV page 86-87).

उपज का परिवहन, ऐसी वन उपज के क्रय स्थान से उस स्थान तक कर सकेगा जहाँ कि ऐसी उपज उसके (व्यक्ति के) वास्तविक उपयोग या उपभोग (Consumption) के लिये अपेक्षित हो।

(शक्ति का प्रत्यायोजन - म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 23 अक्टूबर 1969 पृष्ठ 2269 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 6880-X-69 दि. 23 अक्टूबर 1969 के द्वारा धारा 5 (1) (ख) के अधीन समस्त वन अधिकारियों और फारेस्ट गार्ड के ऊपर के रैंक वालों को प्राधिकृत किया है।)

[1][(ग) ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का, जिसका क्रय राज्य सरकार से या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट किये गये किसी आफिसर या अभिकर्ता से, किसी व्यक्ति ने, राज्य के भीतर ऐसे माल के जिसमें कि किसी विनिर्दिष्ट वन उपज कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, विनिर्माण के लिये या किसी व्यक्ति ने राज्य के बाहर विक्रय के लिये किया हो अथवा जिसका क्रय अनुज्ञप्त विक्रेता ने किया हो, परिवहन ऐसे व्यक्ति द्वारा, उस सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, और ऐसी फीस का संदाय किया जाने पर, जैसा कि विहित किया जाय, जारी किये जाने वाले अभिवहन पास के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की परिवहन गाड़ियों के लिये फीस की विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी, और

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में किसी वन में निस्तार का अधिकार हो, अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के लिये ऐसी उपज का, ऐसे परिमाण में तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाय, परिवहन कर सकेगा।

(3) विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उसे पूर्वोक्त शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता को उक्त इकाई के भीतर स्थित किसी भी डिपो में बेच सकेगा :

परन्तु, राज्य सरकार, शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता एक बार बेची गई विनिर्दिष्ट वन उपज को पुनः क्रय करने के लिये आबद्ध नहीं होगा।

अधिसूचना

अधिसूचना क्र. एफ-30-7-99-दस-3-दिनांक 11 सितम्बर 2000- मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5 (2)(ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, विनिर्दिष्ट वनोपज के परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय निम्नानुसार परिवहन अनुज्ञापत्र की शुल्क लेने हेतु स्वीकृत प्रदान करता है जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी :

क्र.	वनोपज का नाम	प्रति ट्रक रुपया	प्रति ट्रैक्टर ट्राली रुपया	प्रति बैलगाड़ी रुपया
1.	विनिर्दिष्ट इमारती काष्ठ	100/-	50/-	10/-
2.	विनिर्दिष्ट जलाउ काष्ठ	50/-	25/-	5/-

1. मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 1990 (क्र. 16 वर्ष 1990) की धारा 2 के अन्तर्गत अन्तःस्थापित। (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 21-8-90 पृष्ठ 1937, 1938)
धारा 5 की उपधारा (2) में खण्ड 'ग' म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 (क्र. 15 वर्ष 1987) (राजपत्र दि. 24-1-87 पृष्ठ 322-323 पर प्रकाशित) के द्वारा संशोधित (देखिये म.प्र.ला. टाइम्स 1987 पार्ट VIII हिन्दी सेक्शन, पृ. 30-36);

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	साल बीज व हर्रा	100/-	50/-	10/-
4.	अन्य विनिर्दिष्ट लघु वनोपज (साल बीज, हर्रा को छोड़कर)	25/-	10/-	2/-

(म.प्र. राजपत्र भाग 1, दिनांक 22-9-2000 पृष्ठ 1191 पर प्रकाशित)

टिप्पणी

(1) इस धारा (5) की उपधारा (2) के अन्तर्गत संशोधन म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम क्र. 16/1990 की धारा 2 के अन्तर्गत किये गये है तथा क्र. 15/1987 के अधीन धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत खण्ड 'ग' में संशोधन किये गये हैं। (म. प्र. राजपत्र-असाधारण दि. 24-1-1987 पृष्ठ 321-326)

(2) ***रामदास साहू*** वि. ***स्टेट म.प्र.- 1982 म.प्र. वी. नोट 135 में. म.प्र. हाईकोर्ट*** ने यह विनिश्चित किया कि आरा मिल की स्थापना के मामले में लायसेन्स वन उपज ट्रांजिट रूल्स, 1961 में अपेक्षित होने के बारे में नियमों के नियम 27 उस दशा में लागू नहीं होंगे जब आरा मिल की स्थापना नियम प्रभावशील होने के दिनांक 1-11-1961 (Promulgated होने के) पूर्व हो चुकी हो- इस रूलिंग का अवलम्ब लेते हुए ***स्टेट म.प्र.*** वि. ***सुरेशचन्द्र बालचन्द्र जैन-*** *1991 FLT 112* में जस्टिस एस.डी. झा- म. प्र. हाईकोर्ट ने अपने विनिश्चय के पैरा नं. 4 में यह करार दिया है कि इस मामले में संकल्प खातेगांव म्युनिसिपल कौंसिल का क्र. 302/24-2-1961 अभिलेख पर मौजूद है जिससे नियम 27 के प्रभावी 1-11-1961 के होने के पूर्व ही आरा मिल स्थापना की मंजूरी दी जा चुकी थी अतएव मप्र. ट्रांजिट फारेस्ट प्रोड्यूस रूल्स, 1961 के नियम 27 का उल्लंघन नहीं होता है तथा नियम 29 के अधीन दण्डनीय नहीं है।

म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 5 का यदि उल्लंघन होता है तो धारा 16 के अधीन दण्डनीय ठहराया गया है किन्तु धारा 5 म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की तभी लागू होती है जब इस कानून की धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन वन उपज को विनिर्दिष्ट (Specified) क्षेत्र में उपजाई गई या पाई गई को खरीदने और परिवहन करने से रोक का नोटीफिकेशन विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में जारी कर दिया गया हो कि इस विनिर्दिष्ट वन उपज जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र की इकाई में उपजाई गई या पाई गई हो उसे गवर्नमेन्ट या उसकी ओर से लिखित में प्राधिकृत अन्य अधिकारी राज्य सरकार या एजेन्ट के सिवाय कोई अन्य नहीं खरीदेगा और परिवहन नहीं करेगा।

इस धारा 5 में तीन स्पष्टीकरण (Explanations) दिये गये हैं जो वर्तमान अपील में सारवान् नहीं हैं। धारा 5 की उपधारा (2) में चार अपवाद (Exceptions) इस प्रतिबन्ध को लागू नहीं होने के बारे में दिये गये हैं । ये अपवाद उपधारा 2 के (क =A) तथा (d=घ) इस मामले में विचार योग्य हैं–

(A=क) महुआ के अन्यथा अन्य वन उपज का उत्पादक - उस इकाई के भीतर किसी स्थान से जहां ऐसी उपज उगाई गई है या पाई गई है उस इकाई में किसी अन्य स्थान को अपनी उपज परिवहन कर सकेगा और महुआ का उत्पादक महुआ कब्जे में रख सकेगा तथा उस जिले में किसी भी स्थान को परिवहन कर सकेगा।

(D=घ) कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन किसी वन से किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में किसी विस्तार के अधिकार को रखता है वह अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के लिए ऐसी मात्रा में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन- जैसी विहित की जायं- परिवहन कर सकेगा।

पक्षकारों के बीच यह भी सामान्य आधार है कि म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241

के अधीन सरकार को सरकारी वन से इमारती लकड़ी की चोरी-धारा के आशय के लिए अधिसूचित क्षेत्र सरकारी राजपत्र में घोषित करके आदेश द्वारा रोकना है। पड़ियादेह गाँव के बारे में ऐसे आदेश की अधिसूचना जारी नहीं की गई अतएव धारा 241 MPLRC 1959 के अधीन नोटीफाइड ग्राम नहीं है।

मामले में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपनी मिल के लिए इमारती लकड़ी का परिवहन किया अतएव म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है जिसके कारण धारा 16 इसी कानून के अधीन दण्डनीय अपराध का मामला नहीं बनता है - ***(स्टेट म.प्र.** वि. **सुरेशचन्द्र बालचन्द्र जैन - 1991 FLT 112) म.प्र. इन्दौर बैंच हाईकोर्ट (जस्टिस एस.डी.झा) ,***

वन विभाग ने जहां यह साबित नहीं किया कि सागौन की इमारती लकड़ी, वन उपज, सागर जिले के लिए विनिर्दिष्ट वन उपज-धारा 1 (3) के अधीन जारी किये गये नोटीफिकेशन के अनुसार थी। वहां ऐसे नोटीफिकेशन के अभाव में धारा 5 के अधीन सागौन के परिवहन या खरीदी पर प्रतिबंध प्रवर्त्तनीय नहीं है- ***स्टेट म.प्र.*** वि. ***निरपाल 1988 (1) म.प्र. वी.नोट 44 = 1988 मनिसा (हाईकोर्ट) नोट 77 (पृ. 285);***

विनिर्दिष्ट वन उपज के परिवहन के बारे में कानून में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि जो प्राधिकारियों को ऐसी शक्ति देता हो कि वे कानून के अधीन किसी वन अपराध को कारित करते समय उपयोग में लाये गये यान (Vehicle) या जानवर पशु (Cattle) को अधिहरण (Confiscate) कर सके- धारा 19 Composition of offences के बारे में है जो धारा 19 (3) के अधीन डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को एक हजार रुपये तक प्रतिकर के रूप में रकम स्वीकार करने की शक्ति देती है लेकिन अभियुक्त पर पेनाल्टी अधिरोपित करने की शक्ति नहीं देती है- पेनाल्टी का आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। ***(हजारीलाल*** वि. ***डिवीजनल फारेस्ट आफीसर 1984 म.प्र.लॉ.ज. नोट 44);*** (डिवीजनल फारेस्ट आफीसर का आदेश अवैध होने पर जो उसने विनिर्दिष्ट वन उपज के अधिहरण (Confiscation) के बारे में दिया हो उसे विधिवत निरस्त कराया जाना चाहिए। विचारण मजिस्ट्रेट को उस वन उपज को सुपुर्दगी या कस्टडी में देने की अधिकारिता नहीं है- ***सन्तोष कुमार मिश्रा*** वि. ***स्टेट म.प्र.- 1983 ज.ला. ज. 452 = 1983 म.प्र.ला.ज. 406, (स्वरूप चन्द्र*** वि.-***स्टेट म.प्र. ए.आय.आर. 1984 म.प्र. 7*** (ट्रक के अधिहरण की अधिकारिता डी.एफ.ओ. को धारा 54 (IFA) के अधीन नहीं थी।

अहमद जी वि. ***स्टेट म.प्र.*** -' 1985 ***ज.ला.ज.*** 482 *(Empress of India Vs. Nathu Khan (1882) ILR 4 Allahabad 417-relied on),* ***(कलकत्ता हाईकोर्ट का-ऐनुद्दीन शेख*** वि. ***क्वीन एम्प्रेस- (1900) ILR - 27- Calcutta 450)*** - कलकत्ता की डिव्हीजन बैंच ने धारा 52 से 54 तक - IF Act में संशोधन 1983 स्थानीय पर ध्यान दिया है जो 1-11-1983 को प्रभावशील हुआ है। इस संशोधन का भूतगामी या पूर्व लक्षी (Retrospective Effect) नहीं हो सकता क्योंकि उस मामले में ट्रक का सीजर 1-11-83 के पूर्व किया गया था। इस मामले में भी 1-11-83 के संशोधन के पूर्व- दिनांक 7/10 जुलाई 1982 के दर्मयान यान का अभिग्रहण तथा अधिहरण (Confiscation) अधिकारिता के बाहर किया गया इसलिये आदेश DFO रद्द करणीय है-

सन्तोष कुमार मिश्रा वि. ***स्टेट म.प्र. (मि. पिटीशन नं. 1633 of 1982*** (j) निर्णीत दिनांक 28 जुलाई 1990 - जस्टिस बी.सी. वर्मा तथा जस्टिस डी. एम. धर्माधिकारी-म. प्र. हाईकोर्ट- *1991 FLT (Summary) 19,* - (धारा 55 IF Act)

म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 - धारा 5, 12 तथा 13 - विनिर्दिष्ट वन उपज की बिक्री तथा खरीद के मामले में अधिनियम राज्य सरकार की मोनोपॉली (एकाधिकार) का सृजन करता है। पश्चातवर्ती बिक्री पर लेव्ही निजी व्यक्ति (Private individual) पर अधिरोपित करना वैध घोषित किया गया। ***ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड*** वि. ***म.प्र. स्टेट को-आपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि., 1991 FLT (Summary) 18 म.प्र. डीबी हाईकोर्ट (जस्टिस एस.के. झा तथा जस्टिस डी.एम. धर्माधिकारी डी.बी.)*** *; (M.P. No. 2369/83- relied on); = 1991 (1) म.प्र.वी.नोट `86) = 1991 FLT (Sum.) 18* ।

[1][धारा 6. (लुप्त)]

[1][7. **सरकार मूल्य नियत करेगी-** राज्य सरकार ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए वह मूल्य नियत करेगी जिस पर कि विनिर्दिष्ट वन उपज उगाने वालों से उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत आफिसर या अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय किया जाएगा :

परन्तु भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य नियत किये जा सकेंगे और ऐसा करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाएगा :-

(क) विनिर्दिष्ट वन उपज के मूल्य जो इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान प्रचलित रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन नियत किये गये हों;

(ख) इकाई में की विनिर्दिष्ट वन-उपज की क्वालिटी;

(ग) इकाई में उपलभ्य परिवहन-सुविधाएं;

(घ) परिवहन का खर्च; और

(ङ) इकाई में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रचलित मजदूरी का सामान्य स्तर ।]

1. धारा 6 का लोप किया गया तथा धारा 7 प्रतिस्थापित, संशोधन अधिनियम क्र. 16/2002 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 30 अगस्त 2002 द्वारा संशोधित । पूर्व में यह निम्नानुसार थी-

धारा 6. मंत्रणा (सलाहकार) समिति का गठन- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक राजस्व आयुक्त के सम्भाग में विक्रय के हेतु प्रस्थापित की जाने वाली प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज राज्य सरकार अथवा उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा कौन से उचित तथा युक्तियुक्त मूल्य पर क्रय की जाय, इसे निश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने हेतु, राज्य सरकार प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के लिये, राज्य के प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिये एक मंत्रणा समिति गठित करेगी जिसमें अधिक से अधिक ऐसे नौ सदस्य होंगे, जो कि समय-समय पर अधिसूचित किये जावेंगे :

परन्तु-

(एक) उन सदस्यों में से दो सदस्य ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के व्यापारियों में से या ऐसे माल के, जिसमें कि ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, विनिर्माताओं में से होंगे ।

(दो) कम से कम दो सदस्य ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के उन उगाने वालों में से होंगे जो कि राज्य सरकार से भिन्न हों ।

(तीन) एक सदस्य, संसद के उन सदस्यों में से होंगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हों और जो अनुसूचित जन-जाति के हों, और

(चार) एक सदस्य, राज्य विधान मण्डल के उन सदस्यों में से होगा, जो अनुसूचित जन-जाति के हों ।

(2) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को ऐसे अन्य विषयों के सम्बन्ध में सलाह दे जो कि उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जावें ।

(3) समिति का काम काज ऐसी रीति से संचालित किया जावेगा जो कि विहित की जावे ।

(4) समिति के सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो कि विहित किये जायें ।

(5) समिति राज्य सरकार को अपनी सलाह ऐसी कालावधि के भीतर देगी जैसी कि राज्य सरकार प्रत्येक समिति के लिये उस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे ।

धारा 7. राज्य सरकार समिति के परामर्श से मूल्य निर्धारित करेगी- राज्य सरकार धारा 6 के अधीन गठित की गई समिति से परामर्श करने के पश्चात् वह मूल्य नियत करेगी जिस पर कि राजस्व आयुक्त के संभाग में विनिर्दिष्ट वन उपज उगाने वालों से उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत आफिसर या अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय किया जावेगा और वह उसे राजपत्र में, तथा ऐसी अन्य रीति में, जो कि विहित की जावे, ऐसी तारीख तक जो कि उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसके लिये कि समिति गठित की गई हो, 30 जून के बाद की न हो, प्रकाशित करेगी और इस प्रकार नियत किया गया मूल्य ऐसे, कैलेन्डर वर्ष की समाप्ति तक प्रवृत्त रहेगा तथा वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जावेगा :

परन्तु यदि समिति धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर या 15 दिन से अनधिक ऐसी और कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य सरकार अनुज्ञात करे सलाह न दे तो राज्य सरकार समिति के परामर्श के बिना ही मूल्य नियत करने के लिये अग्रसर हो सकेगी :

परन्तु यह और भी, कि भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये भिन्न-भिन्न मूल्य नियत किये जा सकेंगे और ऐसा करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जावेगा :-

(क) विनिर्दिष्ट वन उपज के मूल्य जो इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान प्रचलित रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियत किए गये हों,

(ख) इकाई में की वन उपज की क्वालिटी,

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें,

(घ) परिवहन का खर्च, और

(ङ) इकाई में प्रचलित अकुशल मजदूरों की मजदूरी का सामान्य स्तर ।